नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2013 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

- उपस्थिति :–
  1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
  2. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
  3. श्री कपिलेश्वर विश्वास, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
  4. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
  5. मो0 मुर्शीद आलम, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
  6. श्री मिथिलेश कुमार साहू, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
  7. श्री हीरामुनि प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी–सह–नजारत उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  8. श्री भानू प्रकाश, प्रभारी व0उ0समा0, आपदा प्रबंधन, मुंगेर।
  9. श्री कुशेश्वर दास, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
  10. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0, बन्दोवस्त–सह–जिला राजस्व शाखा, मुंगेर।
  11. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, व0उ0समा0, मुंगेर।
  12. श्री आलोक कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
  13. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर।
  14. श्री के0के0 यादव, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
  15. श्री रविशंकर उरॉव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
  16. श्री एहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास।
  17. श्री विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर।
  18. श्रीमती मीरा सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  19. श्री उमेश मुखिया, कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर, सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर।
  20. श्री रमेश चन्द्र प्रसाद, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  21. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।

वर्त्तमान समय में गंगा नदी के जलस्तर में आई बढ़ोतरी के कारण असमय संभावित बाढ़ से निपटने के लिए बैठक में उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा एवं कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर, सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर को निम्नांकित प्रारंभिक निदेश देते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू की गई एवं विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों को भी अत्यावश्यक कार्यों की सफलता सुनिश्चतता हेतु निम्न निदेश दिए गए :–

1. दिनांक 24.06.2013 को अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं कार्य0 अभियंता द्वारा बरियारपुर के संभावित बाढ़ कटाव क्षेत्रों, यथा–मनियाचक, उदयपुर इत्यादि के संयुक्त निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण टिप्पणी में उल्लेख किया है कि वर्तमान में उपरोक्त क्षेत्रों की स्थिति सामान्य है। परन्तु यह सर्वविदित है कि बरियारपुर के कल्याणपुर एवं आस–पास के क्षेत्रों में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके संबंध में श्री उमेश मुखिया, कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर, सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से बचाव के समय Flood Fighting Material आवश्यकतानुसार नवगछिया से प्राप्त हो जाती है। इस हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संभावित बाढ़ के मद्देनजर पूर्व में ही आवश्यकतानुसार Flood Fighting Material नवगछिया से प्राप्त कर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मुंगेर अपने अनुश्रवण में बाढ़ आदेश–2013 में वर्णित नावों एवं नाविकों/नाव के मालिकों की सूची अंचल अधिकारी, बरियारपुर को उपलब्ध कराते हुए निदेश देंगे कि यथाशीघ्र सुविधानुसार एक तिथि निर्धारित कर सूचीबद्ध सभी नाविकों/नाव के मालिकों को नावों की विस्तृत विवरणी/कागजातों के साथ जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर में लेकर आएँगे ताकि जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उक्त नावों का निबंधन यथाशीघ्र कराया जा सके।

3. प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मुंगेर एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि दो दिन के अन्दर संयुक्तादेश में सूचीबद्ध नाविकों/नाव के मालिकों से सम्पर्क करते हुए नावों का निबंधन अनुमान्य आकार के हिसाब से सुनिश्चित करेंगे।
4. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि बरियारपुर प्रखंडाधीन घोरघट बेली ब्रिज से संबधित अधिग्रहण के लंबित कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए यथाशीघ्र नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
5. दिनांक 23-27 अक्टूबर, 2013 को योगाश्रम में निर्धारित विश्व योग सम्मेलन में आने वाले व्यक्तियों के लिए परिसर के अन्दर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं अन्य व्यवस्थाएँ सुदृढ़ करने के लिए अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर पूर्व में दिए गए निदेश के अनुरूप यथाशीघ्र संबंधित पदाधिकारियों एवं योगाश्रम के प्रबुद्धजनों के साथ एक बैठक आयोजित कर विस्तृत कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि यथासमय कार्रवाईयाँ पूर्ण की जा सके।
6. प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर एवं नजारत उप समाहर्त्ता, मुंगेर यथाशीघ्र एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम हेतु प्राप्त राशि में व्ययोपरान्त अवशेष राशि का बैंक ड्राफ्ट सैनिक कल्याण निदेशालय, पटना को भेजेंगे।
7. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निदेश दिया गया है कि कम-से-कम प्रथम फेज में जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर लैंड बैंक संस्थापित कराया जाए। अतः अपर समाहर्त्ता, मुंगेर विशेष ध्यान देते हुए लैंड बैंक अधिष्ठापन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
8. सचिव, अनु0जाति/अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पत्रांक 112, दिनांक 21.06.2013 द्वारा आई0टी0सी0, मुंगेर द्वारा दान में दी गई जमीन के खाली हिस्से में 10 एकड़ की जमीन अनु0 जाति आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेजने का अनुरोध किया गया है। अतः अपर समाहर्त्ता, मुंगेर अंचल अधिकारी, सदर, मुंगेर से अभिलेख संधारित कराते हुए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को देंगे ताकि भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव विभाग को भेजा जा सके।
9. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि जिले में सभी प्रकार के भूमि हस्तान्तरण से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए संचिकाएँ अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह में उपलब्ध कराएँगे।
10. उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कार्य में अवरोध/समस्या पैदा करने वाले सरकारी/गैर सरकारी कर्मियों/निजी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए स्पष्टीकरण पूछें तथा इस कार्य को हर हाल में पन्द्रह दिनों के अंदर पूर्ण कराएँ।
11. SECC का कार्य अत्यन्त ही असंतोषजनक पाए जाने पर उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि दिनांक 06.07.2013 को निर्धारित विकास समन्वय समिति की बैठक में संबंधित पदाधिकारियों/गैर सरकारी कर्मियों को अद्यतन विस्तृत प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेने का निदेश देंगे।
12. प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर, नीलाम पत्र को निदेश दिया गया कि विद्युत विभाग से संबंधित सभी नीलाम पत्र वादों की समेकित सूची दो दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए ताकि उन वादों का निष्पादन नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके।

इसके अतिरिक्त पूर्व निर्गत कार्यवाहियों में प्रदत्त निदेशों की समीक्षा की गई एवं अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में पुनश्च पूर्ववत् निदेशों का वर्णन अधोलिखित करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया :-

1. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह के वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यो इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि0, दिनांक 31.05.2013 के अनुरूप प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता (Mentor) को निदेश दिया गया था कि वे कम-से-कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड-सह-अंचल जाएंगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। परन्तु किसी भी नामित वरीय उपसमाहर्त्ता द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक में भाग लें तथा बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँ, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने कर्त्तव्य के प्रति तत्पर एवं कार्यकुशल नहीं हैं। सहजता हेतु उक्त बैठक में समीक्षा हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :-

   - लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।
   - सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपत्र समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
   - वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 06(छह) प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की घटकवार वास्तविक संख्या, मार्च, 2013 तक राशि प्राप्त करने वाले पेंशनधारियों की संख्या के आधार पर संकलित करवाकर उपलब्ध करवाना।
   - वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।
   - बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत् कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों का भी स्थलीय निरीक्षण करना तथा निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
   - आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/ सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/ स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।

- विभिन्न स्रोतों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि स्वीकृत्योपरान्त अभी तक वितरित नहीं की गई है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले प्रकाश में आने पर तत्क्षण यथोचित कार्रवाई का प्रतिवेदन देना।
- विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत अंचल अधिकारी, यथा–सदर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्त्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।
- ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि खास महाल क्षेत्र में अनाधिकृत तौर पर नए मकान का निर्माण किया जा रहा है जिसपर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर एवं अंचल अधिकारी, सदर, मुंगेर नियमानुसार सी0आर0पी0सी0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी इसका सतत् पर्यवेक्षण करते हुए अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।
- दिनांक 01.06.2013 से मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन करते हुए प्रकाशन, दावा आपत्ति प्राप्त करने, निष्पादन करने एवं 01.08.13 से 15.08.13 तक प्रकाशित करने तथा भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने का कार्यक्रम प्राप्त है। सभी वरीय उपसमाहर्त्ता इस कार्य का प्रखंड/अंचल भ्रमण के दौरान नियमित समीक्षा कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवाना।
- बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण अन्तर्गत प्रपत्र–2 एवं 3 का सत्यापन संबंधित हल्का कर्मचारी/राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी के स्तर से करायें तथा साप्ताहिक बैठकों में कार्य के प्रगति की समीक्षा कर प्रतिवेदित करना।
- प्रखंड/पंचायत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के प्रगति की भी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना। इसकी प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है।
- राशन किरासन वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे जिसमें मुख्य रूप से यह जांच करेंगे कि अवितरित कूपन एवं वितरण पंजी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को वापस उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं?

2. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर विशेष तौर पर ध्यान देते हुए घटकवार पेंशनधारियों की उम्रवार संख्या सहित सूची यथशीघ्र सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त प्रथम तिमाही के आवंटन को उपावंटित करने की कार्रवाई पूर्ण करेंगे।
3. प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना एवं आपदा के लंबित ए0सी0 विपत्रों के लिए डी0सी0 विपत्र तैयार कर समायोजन हेतु संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार करेंगे।
4. प्रत्येक माह होने वाली टेक होम राशन (THR) के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि परिलक्षित अनियमितता के निमित्त कुछ आंगनबाड़ी सेविकाओं से समानुपातिक राशि के

कटौती की कार्रवाई की गई है और कई सेविकाओं/सहायिकाओं को चयनमुक्त किया गया है। यह खेदजनक है कि THR दिवस में कई प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, अतः विशेष कार्य पदाधिकारी, मुंगेर को निदेशित किया गया कि तिथिवार आयोजित THR दिवस में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित करते हुए यह सूची तैयार करें कि किन पदाधिकारियों द्वारा उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है ताकि उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

5. आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करते रहेंगे ताकि कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित हो सके।
6. महादलित श्रेणी के वैसे लाभुक, जिन्हें जमीन दिया गया है, परन्तु इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है तथा इंदिरा आवास तो मिला है, परन्तु जमीन का कागजात नहीं बना है, ऐसे मामलों की समीक्षा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी करते हुए via-versa कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पूर्व निदेश के बावजूद इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं है। अतः इस कार्य का सतत् अनुश्रवण अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं उप विकास आयुक्त, मुंगेर सुनिश्चित करते हुए पूर्व में दिए गए निदेशों एवं विभागीय पत्रों के अनुरूप एक समेकित सूची तैयार करेंगे ताकि इसे Booklet के रूप में प्रकाशित कराया जा सके।
7. भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन की प्रगति में तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, मुंगेर सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1163 /गो0, दिनांक 02/07/2013

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/ जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1163 /गो0, दिनांक 02/07/2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।